

दोषी वाहन से सम्बोधित किया जा रहा है।

02. यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदकगण क्रमशः उक्त दोषी वाहन के चालक, पंजीकृत स्वामी तथा बीमाकर्ता हैं।

03. दावा आवेदन संक्षेप में इस आशय का है कि दिनांक 13-11-2015 को प्रीतेश उर्फ पिकू देशमुख अपने दोस्त जागेश्वर के मोटरसायकिल में प्रवीण के साथ तीनों सवार होकर पुस्तक खरीदने गुंडरदेही आ रहे थे और मोटरसायकिल रास्ते में पंक्चर हो जाने से प्रीतेश उर्फ पिकू पैदल जा रहा था। तब गुंडरदेही में संतोष पेट्रोल पंप के पास अनावेदक क्रमांक-1 मलेश कुमार ठाकुर दोषी वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते आकर उसे ठोकर मार दिया, जिससे सिर में गंभीर चोट आने से मौके पर ही प्रीतेश उर्फ पिकू की मृत्यु हो गई। इस पर थाना गुंडरदेही द्वारा अपराध क्रमांक 421/15 की कायमी कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। आगे दावा आवेदन इस आशय का है कि प्रीतेश उर्फ पिकू देशमुख 17 वर्षीय स्वस्थ व मेहनती युवक था, जो अपने दादा आवेदक रोमनलाल देशमुख के किराना दुकान में उनके साथ मिलकर व्यवसाय कर 5,000/- रुपये मासिक आय अर्जित कर लेता था, जिसकी आकस्मिक मृत्यु से आवेदकगण उसके प्रेम, स्नेह और सहयोग तथा आय से वंचित हो गये हैं। अतः विभिन्न मदों में क्षति की गणना करते हुए कुल 14,50,000/- रुपये प्रतिकर राशि मय ब्याज तथा वादव्यय के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

04. अनावेदक क्रमांक-1 व 2 ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुये इस आशय का संयुक्त जवाबदावा पेश किये हैं कि उनके दोषी वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि मलेश कुमार दोषी वाहन को धीमी गति से सावधानीपूर्वक चलाते हुये कचान्दुर से गुंडरदेही जा